तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 128 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.20	अपीलार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह राजपूत निवासी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.06..20 में उसके द्वारा (1) कटाण रास्ता वास्तविक जगह पर पत्थरगढी करावे व रास्ता मौके पर खुलवाने की जो कार्यवाही की है उसकी प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से जरिये पत्रांक 758 दिनांक 03.09.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई [illegible] बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के [illegible]ांक 754–755 दिनांक 03.09.20 भिजवाई जा चुकी है। [illegible] अधिकारी द्वारा सूचना अपीलार्थी को भिजवाई जा चु[illegible] स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्र[illegible] संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.10.13 18:05:07 IST
Reason: SelfAttested